जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट :www.brlp.in

Ref. No. : BRLPS/ESH/1097/2015/846 **Date :** 26.06.2015

कार्यालय आदेश

कुछ जिला पदाधिकारियों / उप विकास आयुक्तों से जीविका के परियोजना कर्मियों के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, जीविका के कार्यकलाप से उन्हें अवगत नहीं कराने, कार्य सम्पादन में कोताही बरतने, मोबाइल स्विच ऑफ रखने आदि की शिकायतें मिली है। परियोजना प्रबंधन ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। जीविका के कार्यकलाप के ससमय क्रियान्वयन की दिशा में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय अनिवार्य है। इस संदर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. सभी जिला परियाजना प्रबंधक एवं अन्य जीविका कर्मी अपने निर्धारित मुख्यालय में आवासन सुनिश्चित करेंगे। अवकाश पर जाने की स्थिति में जिला परियोजना प्रबंधक किसी प्रबंधक को दैनन्दिन कार्यो के लिए प्रभारी बनाए जाने की स्वीकृति विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक, जीविका से प्राप्त करेंगे।
2. जिला पदाधिकारी / उपविकास आयुक्त द्वारा आयोजित बैठकों में आमंत्रित किए जाने पर जिला परियोजना प्रबंधक स्वयं अपेक्षित जानकारियों के साथ भाग लेंगे। अपरिहार्य परिस्थिति में जब जिला परियोजना प्रबंधक ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं ले सकें तो इसकी सूचना देते हुए किसी ऐसे प्रतिनिधि को बैठक हेतु प्राधिकृत करेंगे जो बैठक में जिम्मेवारी के साथ भागीदारी निभा सके।
3. वैसे कार्यक्रम/बैठक / प्रशिक्षण / कार्यशाला जो समुदाय से जुड़े स्वयं सहायता समूहों/सामुदायिक संगठनों से संबंधित हों- उनमें जीविका के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएँगे। इस विषय में अगर कोई संशय हो तो राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के वरीय पदाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
4. जीविकाकर्मी CUG वाले अपने Mobile का स्विच ऑफ नहीं करेंगे। बैठक/कार्यशाला/प्रशिक्षण के दौरान मोबाइल को साइलेण्ट मोड में रखेंगे और उस समय अगर कोई टेलिफोन कौल प्राप्त हो तो – एस.एम.एस. के माध्यम से अपनी व्यस्तता की सूचना देंगे और समय मिलते ही कॉल करने वाले व्यक्ति से बात कर समुचित कार्रवाई करेंगे।
5. जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त से अनुरोध किया जाता है कि वैसे किसी कार्यक्रम जो जीविका के कार्यकलाप या गतिविधियों से प्रत्यक्षतः जुड़े नहीं हैं, के लिए

यदि जीविका के कर्मियों का सहयोग अथवा उनकी उपस्थिति अपेक्षित हो तो इस विषय में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से पत्र/फैक्स/इ-मेल के माध्यम से विषय वस्तु की सूचना के साथ अनुरोध करेंगे। उसके आधार पर संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक अथवा अन्य कर्मियों को राज्य इकाई की तरफ से समुचित निदेश निर्गत किया जाएगा।

26/6/15

(डा0 एन. विजय लक्ष्मी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि – सभी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/15

(डा0 एन. विजय लक्ष्मी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी